कार्यालय उप आवासन, आयुक्त, वृत्त– द्वितीय

राजस्थन आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांकः–2752 दिनांक :–24.12.2009

निविदा सूचना संख्या–06/09–10

राजस्थान आवासन मण्ड़ल की ओर से आवासीय योजना अजमेर मे निम्नलिखित कार्यो हेतु अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सीलबंद निविदाये नये नियमानुसार मण्ड़ल मे पंजीकृत व अन्य विभागो के ए व एए श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारो फर्मो से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति, बिक्रीकर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव केन्द्रीय उत्पाद विभाग मे सर्विस टैक्स हेतु पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तथा अन्य विभागो मे पंजीकृत ठेकेदारो को उचित कार्य रिपोर्ट पाये जाने पर 2 प्रतिशत एंव राजस्थान आवासन मण्डल मे पंजीकृत ठेकेदारो द्वारा 1/2 प्रतिशत अमानत राशि का पे ऑर्डर (प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग) उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय जयपुर के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदाएँ दिनांक 15.01.2010 से 03.02.2010 को दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 05.02.2010 से दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं उसी दिवस को 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। अन्तिम विक्रय दिवस पर अवकाश होने पर उसके अगले दिवस पर उपरोक्त कार्यक्रमानुसार ही निविदाएँ विक्रय कर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य की अवधि	स्बंधित खण्ड
1.	गढी थोरियान ब्यावर में उच्च आय वर्ग के 49 अवासों का निर्माण कार्य।	379.26	3000.00	12 माह	अजमेर
2.	पंचशील योजना अजमेर में स्ववित्त पोषित योजना के माध्यम से आय वर्ग ''अ'' के 50 मकानों का निर्माण कार्य।	300.00	3000.00	12 माह	अजमेर
3.	गढी थोरियान ब्यावर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 30 एवं मध्यम आय वर्ग ''अ'' के 44 आवासों का निर्माण कार्य।	242.66	2000.00	12 माह	अजमेर

उक्त निविदाएँ ''पश्च अर्हता''(Post Qualification) की प्रद्धति से प्राप्त की जायेगी। लिफाफा–1 में पूर्ण अवधारित मूल्यांकन मानदण्ड पर आधारित अर्हता बोली और अग्रिम धन राशि (Earnest Money) से संबधित सूचना होगी। लिफाफा–2 में केवल शर्त रहित वित्तीय बोली होगी। दोनो लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखे जायेंगे जिस पर कार्य का नाम अंकित किया जावेगा। निविदाएँ खोली जाने वाले दिवस अर्थात 05 फरवरी 2010 को लिफाफा–1 खोला जायेगा एवं वे फर्म/निविदादाता जो कि ''पश्च अर्हता'' (Post Qualification) के निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करेंगी उनके वित्तीय बोली से संबधित लिफाफा–2 दिनांक 10 फरवरी 2010 को दोपहर 3.00 बजे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–।। मुख्यालय के कक्ष में खोली जावेगी।

नोटः– 1. कोई भी निविदा अथवा समस्त प्राप्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है। 2. राजस्थन आवासन मण्डल में भविष्यनिधि अधिनियम के प्रवाधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। 3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। 4. अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा, निविदा स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी की अनुमति पर ही जारी की जायेगी।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–।।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता–, राज. आ. मंडल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता– द्वितीय राज. आ. मंडल, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज. आ. मंडल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राज. आ. मंडल, वृत्त– प्रथम/ तृतीय, जयपुर वृत्त जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा।
5. आवासीय अभियन्ता, राज. आ. मंडल, खण्ड– अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कार्य के निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्य के 10 सैट में क्रमशः दिनांक 20.01.2010 तक आवश्यक रूप से वृत्त कार्यालय में उपलब्ध करवायें।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–।।